



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218776
CG-DL-E-18032020-218776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1013]
No. 1013]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2020/फाल्गुन 27, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2020/PHALGUNA 27, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

का.आ. 1120(अ).—राष्ट्रपति ने, संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (3) के साथ पठित उस अनुच्छेद के खंड (1) के उपखंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सभा में एक सदस्य को उस सदन में एक नामनिर्दिष्ट सदस्य, जो अपनी पदावधि के अवसान पर सेवानिवृत्त हो गया है, के स्थान को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्य के नाम को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है :--

1. श्री रंजन गोगोई

[फा. सं. एच.11024/3/2020-वि.II]

डॉ. जी.नारायण राजू, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2020

S.O. 1120(E).—Whereas the President, in exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (1) of article 80 of the Constitution of India, read with clause (3) of that article, has nominated one member to the Council of States to fill the seat of one nominated member in that House who has retired on the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name of the following member nominated by the President is hereby notified for general information:-

1. Shri Ranjan Gogoi

[F. No. H-11024/3/2020-Leg.II]

Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.